न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–25/2020(जीसीएमएस नम्बर 2020/00034)

1. हरिकिशन पुत्र हरिया जाति मीना, निवासी नयागांव, तहसील महवा जिला दौसा, राजस्थान

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तहसील महवा, जिला दौसा, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–
1. श्री सतीश पारीक एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.06.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा ने पटवारी हल्का की निहायत ही झूँठी रिपोर्ट के आधार पर वाके ग्राम नयागांव तहसील महवा में स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 72 गैर मु. रास्ता में 20X8 मीटर में दुकान व चबूतरा बनाकर अतिक्रमण मानकर बिना कोई जॉच किये किये तथा अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व बिना कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिऐ दिनांक 24.01.2017 को 13/–रूपये की शास्ती व बेदखली का अदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील पेश की जिस अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2017 को विधि विरूद्ध तरीके से खारिज कर दी गई, जो आदेश विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया हे कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा ने अपने निर्णय में जो अतिक्रमण मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है, वह पक्का निर्माण किसी भी सरकारी भूमि अथवा खसरा नम्बर 72 पर नही है बल्कि अपीलान्ट की अपनी जरिये इकरारनामा खरीदशुदा व कन्वर्जनशुदा भूमि खसरा नम्बर 135 में स्थित है। इसके सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत कर दिया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना तथा बिना कोई जांच कराये ही पटवारी हल्का रिपोर्ट को ही सही मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया कि है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध झूँठी रिपोर्ट अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की है क्योंकि अपीलान्ट ने ग्राम नयागांव के ही रामनाथ पुत्र हरचन्दा मीना के विरूद्ध आम रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 447 पर अवैध अतिक्रमण करने की शिकायत कर रखी है व अपीलान्ट व रामनाथ के बीच धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का केस भी कोर्ट में चल रहा है तथा पटवारी हल्का रामनाथ का रिश्तेदार है जो रामनाथ के साले का लड़का है। इसलिये रामनाथ के कहने पर पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की झूँठी रिपोर्ट बनाई थी। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का मौका भी नही दिया गया। अपीलान्ट द्वारा रामनाथ की शिकायत रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण की करने के कारण ही रामनाथ ने पटवारी हल्का से अपीलान्ट के विरूद्ध अतिक्रमण की झूँठी रिपोर्ट करवाई जबकि अपीलान्ट का उक्त निर्माण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 151 में अपने पिता व दादा के समय से लगभग 40 वर्ष पुराना है परन्तु इन सभी तथ्यों को इग्नोर करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की खातेदारी में हो रहे पक्के निर्माण से बेदखली का आदेश पारित किये है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2017 पारित किया है, जो आदेश विधि विधान एवं प्रक्रियाओं एवं नियमों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2017 अपील उनवानी हरिकिशन बनाम राजस्थान सरकार व नायब तहसीलदार महवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2017 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हरिकशन को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही। उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि पटवारी हल्का द्वारा गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 72 वाके ग्राम नयागांव के 20X7 मीटर भूमि पर दुकान व चबुतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिस रिपोर्ट की जॉच भू अभिलेख द्वारा की गई है। तत्पश्चात् नायब तहसीलदार महवा द्वारा अपीलार्थी को नोटिस दिये जाने पर अपीलार्थी तारीख पेशीयों पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे है तथा अपीलार्थी द्वारा जवाब भी पेश किया गया है। ऐसे में अपीलान्ट का कथन उचित नही है कि उनके द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये ही आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर दुकान व चबुतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया है जिससे आमजन के आवागमन में बांधा उत्पन्न होती है तथा अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तोवजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये जिससे अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि होती हो। अपीलार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा कर रखा है

P.T.O.

जो अवैधानिक है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही हाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2017 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।